Title: Regarding rehabilitation of the slum dwellers in Mumbai.

श्री रामदास आठ्वले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोद्य, मुम्बई शहर अपने देश की आर्थिक राजधानी है। इस राजधानी में रेल विभाग, फारैस्ट विभाग, एयरपोर्ट आथारिटी और साल्ट विभाग की जमीनों पर मुम्बई की एक करोड़ 25 लाख की आबादी में से 70 लाख आबादी स्लम्स में रहती है। केन्द्रीय सरकार की जमीन पर 20-25 लाख लोग ही रहते हैं। प्रमोद महाजन जी मुम्बई शहर से हैं, इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि फारैस्ट डिपार्टमेंट अपनी जमीन से झुग्गी-झौपड़ियों को तोड़ रहा है, लेकिन उनका पुनर्वास करने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। पुनर्वास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही नहीं है, बल्कि केन्द्रीय सरकार की भी है। उस जमीन को रैग्युलराइज करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को मानवता की दृटि से विचार करने की आवश्यकता है। प्रमोद महाजन जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में जवाब दें। मैं उनको बताना चाहता हूं कि रेलवे पटरी की सुरक्षा इन्हीं स्लम्स के लोगों के द्वारा की जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इनका पुनर्वास करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ-न-कुछ सोचना चाहिए। â€¦(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : महोद्य, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को मीटिंग करनी चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। 1995 से पहले मुम्बई शहर में जहां झुग्गी-झौप्ड़ी थी, उनको रैग्युलराइज किया गया था। उनके पुनर्वास के लिए सरकार को कोई जगह देनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि जो साल्ट की जमीन है, उसको फ्री कर दिया जाए। â€¦(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोद्य, मुम्बई शहर की दो-तिहाई आबादी झुग्गियों में रहती है। जमीन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों की है, निजी जमीन भी है। रेलवे के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास की जमीन भी है। जब दो-तिहाई आबादी है, तो स्वाभाविक है कि उनकी समस्यायें भी हैं। उनको नागरिक सुविधायें देने का प्रयास होना चाहिए। जहां तक उन्होंने फोरैस्ट प्लान के बारे में कहा है, यह एक महत्वपूर्ण बात है।

उसमें से कुछ में न्यायालय के निर्णय भी हो चुके हैं, जिन पर अमल करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन यह जो सारा विाय है, इसे मैं संबंधित मंत्रालय के साथ बैठ कर उनसे प्रार्थना करूंगा कि महाराट्र सरकार से बातचीत करके इसमें अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो जरूर निकालें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

13.20 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till twenty minutes

past Fourteen of the Clock.'

14.23 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty-three minutes

past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we shall take up Matters under Rule 377.

Shrimati Jas Kaur Meena.